

१०८०

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3 SUB. SEC. (I)

Appearing on Page No. 640—644

Dated 12-3-88

मानव और वाग़नीक समूह संबंधित
MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(वाय विभाग)

तर्फ दिल्ली, 9 जनवरी 1988

सा. का. नि. 152.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रत्युत द्वारा भवा विभिन्नों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय चीजों संस्थान कानपुर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन कले के लिए निम्नलिखित नियम बनाये हैं, प्रधान—

1. नियम नाम और मार्गम्—(1) इन नियमों का लंगिल नाम राष्ट्रीय चीजों संस्थान कानपुर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को पृष्ठत होगी।

2. राष्ट्रीय चीजों संस्थान, कानपुर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1964 को अनुसूची में कव सं. 42 और उससे संबंधित प्रविधियों के लिए ए. निम्नलिखित कव सं. और प्रविधियों द्वारा जारी भर्ती—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
"42 नियमानुसार भर्तीकारी-1	2*	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख"	2000-60- 2300-दो-75	समूल	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अन- देशों या आदेशों द्वारा अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिखिल की जा सकती है।			
*कार्यभार के आधार पर		राजपत्रित अनुसूचितीय परिवर्तन	3200-100- 3500 रु. (उत्तरीमित)					
प्रशासनिक-सह-कार्य और विकाय अधिकारी-1		किया जा सकता है।						

वाच्यक:

(1) किसी मानसिकप्राप्त विवरितान्वय से उपाधि या सम्मुल्य।

(2) किसी सम्भारी विभाग या लोक विभाग या व्यापति प्राप्त प्राइवेट समूल्यात में उत्तरवाही हैगियत में
माल भगाने उसके काय भी अनुरक्षण तथा माल लेखा के एव-एवाव का 3 वर्ष का अनुमति।

टिप्पणी: 1.—अहंताएं अन्यथा भुजित अस्थियों की व्यापा में संघ लोक सेवा आयोग के विवकानुसार शिखिल
की जा सकती है।

टिप्पणी: 2.—अनुभव संबंधी अहंता (अहंताएं) सब लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और
अनुसूचित जनजातियों के अस्थियों की व्यापा में तब शिखिल की जा सकती है (है). जब चबन
के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिवितयों
को भरने के लिए आवश्यक अनुभव रखने वाले उन समूदायों के अस्थियों के पर्याप्त संख्या में
के उपलब्ध होने की समावना नहीं है।

नाइनीय वैज्ञानिक शब्दों और नाम पढ़ाति का विवर अन्तर्गत वैज्ञानिक माल भी है (ज्ञान)।

प्रोलेटियारियेट जिसमें संघर्ष मिलते हैं, आत्मसम्मान के द्वारा और दूनों के नहीं समाप्त हो जाते हैं।

तिप्पणी — यह समाधान को अधिकारियों को लागू होने के बाहर की दृष्टि से विवरित किया गया है। इसका उल्लेख "अधिकारियों को लागू होने के बाहर की दृष्टि से विवरित किया गया है।" अधिकारियों को लागू होने के बाहर की दृष्टि से विवरित किया गया है।

(फोर्म ग्राहन के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रान्तिक संघ परिषद में व्यवसित हैं परन्तु विद्युति विभाग का लिए विचार किया जाने के पास नहीं होते। उसी प्रकार प्रतिविविध गिरण गांव अन्तिक प्रान्तिक विद्युति के लिए विचार दिए जाने के पास नहीं होते। प्रति विविध विभाग विभाग में विद्युति को ठोक पहले घारित किया जाना चाहिए वाले पद पर प्रतिविविध गांव हैं साधारणतया 3 बप्पा अधिक होते हैं)।

प्राचीनता (१) एसा कायलिण अधीक्षक, जिसने उड़ा प्रेण में ३ कृष्ण निरापद सत्रा की है ।

(२) उपरोक्त (१) के न हो गए पर ऐसा कार्यालय अधिकारी नियुक्त कार्यालय भवन सभा और साम्राज्य अभियानकालीन वेदाकाल के बीच में एक समाजिक वृत्ति सेवा का है।

प्रतिनिधित्व पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण
केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी

(क) (1) जो नियमित बाह्यर पर सदृश पद धारण करते हैं, या
 (2) जिन्हें 10-10-2900 न. या समात्य वेतनमात्र वाले
 पदों पर वर्ती नियमित शेवा की है, या

(३) जिन्होने 1400-2300/2600 रु. या समतुल्य वेतन गांन बाले पांच पर ४ वर्ष नियमित सेवा की है श्री

(ब) जिनके गाय संघर्ष गती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपर्युक्त अन्यान्य प्राकृतिक असहतापन और अनभवत हैं।

10. The following table gives the number of hours worked by 1000 workers in a certain industry.

मह "ख" विभागीय प्रोन्नति संपत्ति

- | | |
|---|----------|
| 1. निर्देशक, राजनीति और संस्थान | —विषयक |
| 2. आचार्य के लैडे के अधिकारी, राजनीति संस्थान | —संस्थान |
| 3. उप सचिव (भौति) वादे विवरण | —गदास्थ |

संघी भर्ती करते समय सभी लोक सेवा आयोग से परामर्श करना बहुत जरूरी है।

टिप्पणी: पुस्ति से विभिन्नता विभागीय प्रान्तिति गमिति की कार्यवाहिया, सब शोक रेता आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जायेंगी किन्तु, यदि अंतर्गत उन्होंना अनुमोदन नहीं करता, तो विभागीय प्रान्तिति संघर्षिति की रूपक राष्ट्र लोक रेता आयोग के अध्यक्ष या उन्हीं संवृद्धि की आवश्यता में फिर से होगी।

[सं. प्र.-१२०१८/२४८७-च.नी डेक्कन-१]

नरेण बन्द्र, अदार सचिव

पार्टियां—मुख्य नियम, भारत के राजपत्र तारीख 25 जनवरी, 1964 से मा. ना. नि. 1036 तारीख 12 जूलाई, 1964 द्वारा प्रत्यक्षित किए गए थे और नियमसंशोधन किया गया है—

- भारत के राजपत्र तारीख 15 प्रगति, 1964 में प्रकाशित सा. का. नि. 1150 तारीख 6 प्रगति, 1964
 - भारत के राजपत्र तारीख 26 शिवम्बर 1964 में प्रकाशित सा. का. नि. 1364 तारीख 13 शिवम्बर 1964
 - भारत के राजपत्र तारीख 3 अक्टूबर 1964 में प्रकाशित सा. का. नि. 1436 तारीख 20 शिवम्बर 1964
 - भारत के राजपत्र तारीख 30 जनवरी 1965 में प्रकाशित सा. का. नि. 179 तारीख 21 जनवरी 1965
 - भारत के राजपत्र तारीख 27 फरवरी 1965 में प्रकाशित सा. का. नि. 306 तारीख 20 फरवरी 1965
 - भारत के राजपत्र तारीख 4 मिलम्बर 1965 में प्रकाशित सा. का. नि. 1270 तारीख 23 अगस्त, 1965
 - भारत के राजपत्र तारीख 12 फरवरी 1966 में प्रकाशित सा. का. नि. 233 तारीख 4 फरवरी, 1966
 - भारत के राजपत्र तारीख 12 फरवरी 1966 में प्रकाशित सा. का. नि. 234 तारीख 4 फरवरी, 1966
 - भारत में राजपत्र तारीख 11 जून, 1966 में प्रकाशित सा. का. नि. 890 तारीख 1 जून 1966
 - भारत के राजपत्र तारीख 19 नवम्बर 1966 में प्रकाशित सा. का. नि. 1745 तारीख 6 नवम्बर 1966
 - भारत के राजपत्र तारीख 26 नवम्बर 1966 में प्रकाशित सा. का. नि. 1803 तारीख 13 नवम्बर 1966
 - भारत के राजपत्र तारीख 29 जुलाई 1967 में प्रकाशित सा. का. नि. 1140 तारीख 15 जुलाई 1967
 - भारत के राजपत्र तारीख 27 फरवरी 1971 में प्रकाशित सा. का. नि. 278 तारीख 10 फरवरी 1971
 - भारत के राजपत्र तारीख 1 मई 1971 में प्रकाशित सा. का. नि. 640 तारीख 13 अप्रैल 1971

15. भारत के राजपत्र तारीख 12 जून, 1971 में प्रकाशित, सा. का. नि. 925 तारीख 21 मई 1971
 16. भारत के राजपत्र तारीख 30 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित, सा. का. नि. 1612 तारीख 7 सितम्बर, 1971
 17. भारत के राजपत्र तारीख 17 जनवरी, 1976 में प्रकाशित, सा. का. नि. 85 तारीख 29 दिसम्बर, 1975
 18. भारत के राजपत्र तारीख 18 दिसम्बर, 1976 में प्रकाशित, सा. का. नि. 1755 तारीख 24 नवम्बर, 1976
 19. भारत के राजपत्र तारीख 15 जनवरी, 1977 में प्रकाशित, सा. का. नि. 79 तारीख 16 दिसम्बर, 1976
 20. भारत के राजपत्र तारीख 12 मार्च, 1977 में प्रकाशित, सा. का. नि. 539 तारीख 25 फरवरी, 1977
 21. भारत के राजपत्र तारीख 31 दिसम्बर, 1977 में प्रकाशित, सा. का. नि. 1729 तारीख 14 दिसम्बर, 1977
 22. भारत के राजपत्र तारीख 22 अप्रैल, 1978 में प्रकाशित, सा. का. नि. 523 तारीख 30 मार्च, 1978
 23. भारत के राजपत्र तारीख 29 अप्रैल, 1978 में प्रकाशित, सा. का. नि. 566 तारीख 17 अप्रैल, 1978
 24. भारत के राजपत्र तारीख 29 अप्रैल, 1978 में प्रकाशित, सा. का. नि. 567 तारीख 17 अप्रैल, 1978
 25. भारत के राजपत्र तारीख 11 नवम्बर, 1978 में प्रकाशित, सा. का. नि. 1340 तारीख 21 अक्टूबर, 1978
 26. भारत के राजपत्र तारीख 27 जनवरी, 1979 में प्रकाशित, सा. का. नि. 149 तारीख 5 जनवरी, 1979
 27. भारत के राजपत्र तारीख 17 फरवरी, 1979 में प्रकाशित, सा. का. नि. 277 तारीख 5 फरवरी, 1979
 28. भारत के राजपत्र तारीख 17 फरवरी, 1979 में प्रकाशित, सा. का. नि. 278 तारीख 5 फरवरी, 1979
 29. भारत के राजपत्र तारीख 8 दिसम्बर, 1979 में प्रकाशित, सा. का. नि. 1472 तारीख 23 नवम्बर, 1979
 30. भारत के राजपत्र तारीख 5 अप्रैल, 1980 में प्रकाशित, सा. का. नि. 389 तारीख 21 मार्च, 1980
 31. भारत के राजपत्र तारीख 5 अप्रैल, 1980 में प्रकाशित, सा. का. नि. 390 तारीख 21 मार्च, 1980
 32. भारत के राजपत्र तारीख 13 दिसम्बर, 1980 में प्रकाशित, सा. का. नि. 1274 तारीख 26 नवम्बर, 1980
 33. भारत के राजपत्र तारीख 2 मई, 1981 में प्रकाशित, सा. का. नि. 445 तारीख 20 अप्रैल, 1981
 34. भारत के राजपत्र तारीख 12 सितम्बर, 1981 में प्रकाशित, सा. का. नि. 838 तारीख 25 अगस्त, 1981
 35. भारत के राजपत्र तारीख 31 अक्टूबर, 1981 में प्रकाशित, सा. का. नि. 969 तारीख 12 अक्टूबर, 1983
 36. भारत के राजपत्र तारीख 24 जुलाई, 1982 में प्रकाशित, सा. का. नि. 628 तारीख 1 जुलाई, 1982
 37. भारत के राजपत्र तारीख 2 अप्रैल, 1983 में प्रकाशित, सा. का. नि. 279 तारीख 14 मार्च, 1983
 38. भारत के राजपत्र तारीख 16 जुलाई, 1983 में प्रकाशित, सा. का. नि. 524 तारीख 1 जुलाई, 1983
 39. भारत के राजपत्र तारीख 19 नवम्बर, 1983 में प्रकाशित, सा. का. नि. 855 तारीख 5 नवम्बर, 1983
 40. भारत के राजपत्र तारीख 26 नवम्बर, 1983 में प्रकाशित, सा. का. नि. 875 तारीख 8 नवम्बर, 1983
 41. भारत के राजपत्र तारीख 3 मार्च, 1984 में प्रकाशित, सा. का. नि. 232 तारीख 18 फरवरी, 1984
 42. भारत के राजपत्र तारीख 19 मई, 1984 में प्रकाशित, सा. का. नि. 482 तारीख 21 अप्रैल, 1984
 43. भारत के राजपत्र तारीख 4 अगस्त, 1984 में प्रकाशित, सा. का. नि. 825 तारीख 20 जुलाई, 1984
 44. भारत के राजपत्र तारीख 5 जनवरी, 1985 में प्रकाशित, सा. का. नि. 3 तारीख 20 दिसम्बर, 1984
 45. भारत के राजपत्र तारीख 9 फरवरी, 1985 में प्रकाशित, सा. का. नि. 145 तारीख 22 जनवरी, 1985
 46. भारत के राजपत्र तारीख 25 फरवरी, 1986 में प्रकाशित, सा. का. नि. 65 तारीख 9 जनवरी, 1986
 47. भारत के राजपत्र तारीख 13 जून, 1987 में प्रकाशित, सा. का. नि. 447 तारीख 22 मई, 1987
 48. सा.ट. के राजपत्र तारीख 26 सितम्बर, 1987 में प्रकाशित, सा. का. नि. 717 तारीख 16 सितम्बर, 1987

(Department of Food)

New Delhi, the 9th January, 1988.

G.S.R. 152 :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Sugar Institute, Kanpur (Group A and Group B posts) Recruitment Rules, 1964, namely:

1. (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur (Group A and Group B posts) Recruitment (Amendments) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Sugar Institute, Kanpur (Group A and Group B posts) Recruitment Rules, 1964, for serial number 42 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	6a	7
Accounts-cum- Store Officer-1 administrative-	2 ^a (1967)	General Central Service	Rs. 2000- 60-2300-EB- 75-3200	Selection Not exceeding 30 years. (Relaxable for Go-	30	No.	ESSENTIAL: (i) Degree of a recognised University or equiv.alent

1	2	3	4	5	6	6a	7
Cum-Purchase I and Sales Officer I	group 'B' Gazetted Ministerial	100-3500. (Revised)	vernment servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(ii) 3 years' experience in indenting purchase and maintenance of stores and in the up keep of stores, accounts in a responsible capacity in a Government Department or a public body or a private concern of repute.	Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.	Note 2 The qualifications are relaxable on the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation/ transfer and failing both by direct recruitment.	PROMOTION:	Group 'B' Departmental Consultation with Promotion Committee the Commission necessary while making direct recruitment.	

Note: For a period of five years from the date of notification of the amendment the post may be filled by the alternate mode of "transfer" as provided in the amended method of recruitment. The age limits for Officers to be considered under the "transfer" method may be preferably not below 30 years of age.

"The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period

(i) Office Superintendent with 3 years regular service in the grade.

(ii) Failing (i) above Office Superintendent with 8 years combined regular service in the grade of Office Superintendent and General Recorder/Accountant.

Transfer on deputation/transfer:-

Officers under the Central Government:-

(a) (i) holding analogous post on a regular basis; or

(ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent or

(iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/2600 or equi-

Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval: If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or Member of the Union Public Service Commission shall be held.

of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /department shall ordinarily not exceed 3 years)".

valent; and
(b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 7.

[No. A-12018/2/87 Sugar-De
NARESH CHAND, Under S

Footnote. The principal rules were published vide G.S.R. 1036 dated the 13th July 1964 published in the Gazette of India dated

- July, 1964 and the same were amended vide—
1. G.S.R. 1150 dated the 6th August, 1964 published in Gazette of India dated the 15th August, 1964.
2. G.S.R. 1364 dated the 15th September, 1964 published in Gazette of India dated the 26th September, 1964.
3. G.S.R. 1436 dated the 23rd September, 1964 published in Gazette of India dated the 3rd October, 1964.
4. G.S.R. 179 dated the 21st January, 1965 published in Gazette of India dated the 30th January, 1965.
5. G.S.R. 306 dated the 20th February, 1965 published in Gazette of India dated the 27th February, 1965.
6. G.S.R. 1279 dated the 23rd August, 1965 published in Gazette of India dated the 4th September, 1965.
7. G.S.R. 233 dated the 4th February, 1966 published in Gazette of India dated the 12th February, 1966.
8. G.S.R. 234 dated the 4th February, 1966 published in Gazette of India dated the 12th February, 1966.
9. G.S.R. 899 dated the 3rd June, 1966 published in Gazette of India dated the 11th June, 1966.
10. G.S.R. 1745 dated the 5th November, 1966 published in Gazette of India dated the 19th November, 1966.
11. G.S.R. 1805 dated the 16th November, 1966 published in Gazette of India dated the 26th November, 1966.
12. G.S.R. 1140 dated the 15th July, 1967 published in Gazette of India dated the 29th July, 1967.
13. G.S.R. 278 dated the 10th February, 1971 published in Gazette of India dated the 27th February, 1971.
14. G.S.R. 640 dated the 13th April, 1971 published in Gazette of India dated the 1st May, 1971.
15. G.S.R. 925 dated the 21st May, 1971 published in Gazette of India dated the 12th June, 1971.
16. G.S.R. 1612 dated the 7th September, 1971 published in Gazette of India dated the 30th September, 1971.
17. G.S.R. 85 dated the 29th December, 1975 published in Gazette of India dated the 17th January, 1976.
18. G.S.R. 1755 dated the 24th November, 1976 published in Gazette of India dated the 18th December, 1976.
19. G.S.R. 79 dated the 16th October, 1976 published in Gazette of India dated the 15th January, 1977.
20. G.S.R. 539 dated the 25th February, 1977 published in Gazette of India dated 12th March, 1977.
21. G.S.R. 1729 dated the 14th December, 1977 published in Gazette of India dated the 31st December, 1977.
22. G.S.R. 523 dated the 30th March, 1978 published in Gazette of India dated 22nd April, 1978.
23. G.S.R. 566 dated the 17th April, 1978 published in Gazette of India dated the 29th April, 1978.
24. G.S.R. 567 dated the 17th April, 1978 published in Gazette of India dated 29th April, 1978.
25. G.S.R. 1340 dated the 21st October, 1978 published in Gazette of India dated 11th November, 1978.
26. G.S.R. 149 dated the 5th January, 1979 published in Gazette of India dated the 27th January, 1979.
27. G.S.R. 277 dated the 5th February, 1979 published in Gazette of India dated the 17th February, 1979.
28. G.S.R. 278 dated the 5th February, 1979 published in Gazette of India dated 17th Februy, 1979.
29. G.S.R. 1472 dated the 23rd November, 1979 published in Gazette of India dated the 8th December, 1979.
30. G.S.R. 389 dated the 21st March, 1980 published in Gazette of India dated the 5th April, 1980.
31. G.S.R. 390 dated the 21st March, 1980 published in Gazette of India dated the 5th April, 1980.
32. G.S.R. 1274 dated the 26th November, 1980 published in Gazette of India dated the 13th December, 1980.
33. G.S.R. 445 dated the 20th April, 1981 published in Gazette of India dated the 2nd May, 1981.
34. G.S.R. 838 dated the 25th August, 1981 published in Gazette of India dated the 12th September, 1981.
35. G.S.R. 969 dated the 12th October, 1981 published in Gazette of India dated the 21st October, 1981.
36. G.S.R. 628 dated the 1st July, 1982 published in Gazette of India dated the 24th July, 1982.
37. G.S.R. 279 dated the 14th March, 1983 published in Gazette of India dated the 2nd April, 1983.
38. G.S.R. 524 dated the 1st July, 1983 published in Gazette of India dated the 16th July, 1983.
39. G.S.R. 855 dated the 5th November, 1983 published in Gazette of India dated the 19th November, 1983.
40. G.S.R. 875 dated the 8th Nov. 1983 published in Gazette of India dated the 26th November, 1983.
41. G.S.R. 232 dated the 18th February, 1984 published in Gazette of India dated the 3rd March, 1984.
42. G.S.R. 487 dated the 21st April, 1984 published in Gazette of India dated the 19th May, 1984.
43. G.S.R. 825 dated the 20th July, 1984 published in Gazette of India dated the 4th August, 1984.
44. G.S.R. 3 dated the 20th December, 1984 published in Gazette of India dated the 5th January, 1985.
45. G.S.R. 145 dated the 22nd January, 1985 published in Gazette of India dated the 9th February, 1985.
46. G.S.R. 65 dated the 9th January, 1986 published in Gazette of India dated the 25th January, 1986.
47. G.S.R. 447 dated the 22nd May, 1987 published in Gazette of India dated the 13th June, 1987.
48. G.S.R. 717 dated the 16th September, 1987 published in Gazette of India dated the 26th September, 1987.